न्यायालयः–रूपल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर
जिला इंदौर (म.प्र.)
निर्णय की तारीख : 17.03.2023

दाण्डिक प्रकरण क्र०– RCT / 92 / 2020

ई–फाईलिंग नं० – RCT / 360 / 2020

सी.एन.आर.नं. – MP09070036202021

संस्थित दिनांक – 17 / 03 / 2020

.....

आरक्षी केन्द्र देपालपुर, जिला–इंदौर के अपराध कमांक–59 / 2020 अपराध अंतर्गत धारा– 25 (1–बी) (बी) आयुध अधिनियम से उदभूत प्रकरण।

.....

परिवादी / अभियोगी	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र देपालपुर, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री संजय जाटव (ए.डी.पी.ओ.)
अभियुक्त	प्रवीण पिता राजेन्द्र राठौर, उम्र–21 वर्ष, निवासी–नेहरू मार्ग देपालपुर, इंदौर (म. प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री विजयपुरी गोस्वामी

अपराध की तारीख	04.03.2020
प्र.सू.रि. की तारीख	04.03.2020
आरोप–पत्र की तारीख	16.03.2023
आरोपों के विरचना की तारीख	16.03.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	09.02.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	निरंक

निर्णय की तारीख	17.03.2023
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.स. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1.	प्रवीण पिता राजेन्द्र राठौर	04.03.2020	29.03.2020	25 (1–बी) (बी) आयुध अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	दिनांक 04.03.2020 से 29.03.2020 तक

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची:–

क. अभियोजनः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	रामकिशन	जप्ती व गिरफ्तारी साक्षी
अ.सा.2	गणेश	जप्ती व गिरफ्तारी साक्षी
अ.सा.3	राहुल शर्मा	अनुसंधान साक्षी

ख. प्रतिरक्षा, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

		(चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
न्या.सा.1	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूचीः–

क. अभियोजनः–

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी 1/अ.सा.–1, अ.सा.–02, अ.सा.–03	जप्ती पंचनामा
2.	प्रदर्श पी 2/अ.सा.–1, अ.सा.–02, अ.सा.–03	गिरफ्तारी पंचनामा
3.	प्रदर्श पी 3/अ.सा.–1	पुलिस कथन
4.	प्रदर्श पी 4/अ.सा.–3	पुलिस कथन
5.	प्रदर्श पी 5 /अ.सा.–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
6.	प्रदर्श पी 6 व 7/अ.सा.–3	रवानगी व वापसी सान्हा
7.	प्रदर्श पी 8 /अ.सा.–3	आपराधिक रिकॉर्ड
8.	प्रदर्श पी 9/अ.सा.–3	जप्ती चिट

ख. प्रतिरक्षा, यदि कोई हो तोः–

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श, यदि कोई हो तोः–

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएंः–

सं.क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	आवश्यक वस्तु कमांक –01	एक लोहे का छूरा

//निर्णय//

(आज दिनांक 17.03.2023 को खुले न्यायालय में घोषित)

01– अभियुक्त प्रवीण के विरूद्व धारा 25 (1–बी) (बी) आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत यह आरोप है कि, उसने दिनांक 04.03.2020 को समय 15:20 बजे स्थान बेटमा देपालपुर रोड़, ठाकुर पेट्रोल पंप के पास अंतर्गत आरक्षी केन्द्र देपालपुर सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का तेज धारदार छूरा जिसके फल की लंबाई 10 इंच, मूठी की लंबाई करीबन 4 इंच, फल की चौड़ाई 1.5 इंच होकर तेज धारदार नुकीला, छूरे की कुल लंबाई 14 इंच कीमत 150/–रूपये को अपने आधिपत्य में रखा, ऐसा करके धारा 4 आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक 6312–6552–2 बी–1 दिनांक 22 नवंबर 1974 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 3.1.1975 पृष्ठ कमांक 20 का उल्लंघन किया गया।

02– अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि राहुल शर्मा आरक्षी केन्द्र देपालपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 04.03.2020 को वह हमराह आरक्षक 857 राजपाल गुर्जर के साथ कस्बा भ्रमण हेतु रवाना हुआ था। कस्बा भ्रमण करते हुये इंदौर नाका पहुंचा जहां उसे जरिये मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति ठाकुर पेट्रोल पंप के पास बेटमा रोड़ पर लोहे का धारदार छूरा हाथ में लेकर घूम रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास कर बेटमा रोड़ ठाकुर पेट्रोल पंप के पास जाकर देखा तो एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार छूरा घुमा रहा था, जिससे वहां पर आने जाने वाले लोग भयभीत होकर ईधर उधर भाग रहे थे। उसे हमराह आरक्षक की मदद से पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रवीण पिता राजेन्द्र राठौर, उम्र–19 साल, निवासी–नेहरू मार्ग देपालपुर का होना बताया। लायसेंस का पूछने पर न होना बताया।

03– अभियुक्त का कृत्य 25 आर्म्स अधिनियम का पाये जाने से अभियुक्त प्रवीण से एक लोहे का छूरा जिसके फल की लंबाई करीबन 10 इंच है तथा मूठ की लंबाई करीबन 4 इंच है कुल लंबाई करीबन 14 इंच है तथा फल की चौड़ाई 1.5 इंच होकर तेज धारदार नुकीला है को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया। अभियुक्त प्रवीण को मौके पर ही पंचान साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। अभियुक्त को बंद हवालात किया जप्त माल को एचसीएम के जिम्मे किया गया एवं आरक्षी केन्द्र देपालपुर पर प्रवीण के विरूद्ध अपराध क्रं. 59/2020, धारा 25 बी आर्म्स एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।

04– अभियुक्त को धारा 25 (1–बी) आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप पढकर, सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण की मांग की गई तथा अभियुक्त परीक्षण के दौरान झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया गया तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई।

05– <u>प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है</u> :–

01– क्या अभियुक्त प्रवीण द्वारा दिनांक 04.03.2020 को समय 15:20 बजे स्थान बेटमा देपालपुर रोड़, ठाकुर पेट्रोल पंप के पास अंतर्गत आरक्षी केन्द्र देपालपुर सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का तेज धारदार छूरा जिसके फल की लंबाई 10 इंच, मूठी की लंबाई करीबन 4 इंच, फल की चौड़ाई 1.5 इंच होकर तेज धारदार नुकीला, छूरे की कुल लंबाई 14 इंच कीमत 150/–रूपये को अपने आधिपत्य में रखा, ऐसा करके धारा 4 आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी

मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312–6552–2 बी–1 दिनांक 22 नवंबर 1974 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 3.1.1975 पृष्ठ क्रमांक 20 का उल्लंघन किया गया ?

//सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष//

06– न्यायदृष्टांत **भारत संघ विरूद्ध निहार कांता सेन व अन्य (1987) 3 एस.सी.सी. 465** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अधिसूचनाओं की न्यायिक अवेक्षा की जाना चाहिए। उक्त वर्णित प्रावधानों एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक स्थिति के अलोक में एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 57 (1) में यथा उपबंधित प्रावधान के प्रकाश में अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 6312–6552–2 बी. दिनांक 22.11.1974 की न्यायिक अवेक्षा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लगाते समय की जा चुकी है।

07– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न बिंदु के संदर्भ में अभियोजन साक्षी अनुसंधान अधिकारी राहुल शर्मा (अ.सा.–03) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक 04.03.2020 को वह हमराह आरक्षक 857 राजपाल गुर्जर के साथ कस्बा भ्रमण हेतु इंदौर नाका पहुंचा जहां उसे मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति ठाकुर पेट्रोल पंप के पास बेटमा रोड़ पर लोहे का धारदार छूरा हाथ में लेकर घूम रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास कर बेटमा रोड़ ठाकुर पेट्रोल पंप के पास जाकर देखा तो एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार छूरा घुमा रहा था, जिससे वहां पर आने जाने वाले लोग भयभीत होकर ईधर उधर भाग रहे थे। उसे हमराह आरक्षक की मदद से पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रवीण पिता राजेन्द्र राठौर, उम्र–19 साल, निवासी–नेहरू मार्ग देपालपुर का होना बताया। लायसेंस का पूछने पर न होना बताया।

08– अभियुक्त का कृत्य 25 आर्म्स अधिनियम का पाये जाने से अभियुक्त प्रवीण से एक लोहे का छूरा जिसके फल की लंबाई करीबन 10 इंच है तथा मूठ की लंबाई करीबन 4 इंच है कुल लंबाई करीबन 14 इंच है तथा फल की चौड़ाई 1.5 इंच होकर तेज धारदार नुकीला है को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–01 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं ए से ए भाग पर रामकिशन व बी से बी भाग पर पंचान साक्षी गणेश के हस्ताक्षर है। मौके पर ही पंचान साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त प्रवीण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–02 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त अपराध को विवेचना में लेकर पंचान साक्षीगणों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। उसने प्रकरण में

अपनी रवानगी व वापसी रोजनामचा की प्रति प्रस्तुत की है जो प्रदर्श पी–06 व 07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं अभियुक्त प्रवीण का आरक्षी केन्द्र देपालपुर में दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड की प्रति संलग्न की थी जो प्रदर्श पी–08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश करने की कार्यवाही की थी।

09– इस संबंध में अभियोजन की ओर से स्वतंत्र साक्षी रामकिशन (अ.सा.–01) एवं जीवन (अ.सा.–02) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि वे अभियुक्त प्रवीण को नहीं पहचानते है, सामने आने पर भी नहीं पहचान सकते है। पुलिस ने उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी। पुलिस ने उनके सामने अभियुक्त से कोई सामान नहीं जप्त किया था किंतु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–01 के ए से ए व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–02 के ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। साक्षीगण ने प्रदर्श पी–01 व 02 पर उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, परन्तु अभियोजन का समर्थन नही किये जाने से अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण को पूर्वोन्मुखी घोषित किया गया है व पूर्वोन्मुखी घोषित किये जाने के उपरांत पुछे गये प्रश्नों के माध्यम से ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन नही किया गया है। प्रकरण में जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन नही किया गया है।

10– आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है और अभियोजन पर यह दायित्व होता है कि वह युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करे कि अभियुक्त द्वारा अपराध किया गया है, परंतु प्रकरण में अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्व युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.03.2020 को समय 15:20 बजे स्थान बेटमा देपालपुर रोड़, ठाकुर पेट्रोल पंप के पास अंतर्गत आरक्षी केन्द्र देपालपुर सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का तेज धारदार छूरा जिसके फल की लंबाई 10 इंच, मूठी की लंबाई करीबन 4 इंच, फल की चौड़ाई 1.5 इंच होकर तेज धारदार नुकीला, छूरे की कुल लंबाई 14 इंच कीमत 150/–रूपये को अपने आधिपत्य में रखा, ऐसा करके धारा 4 आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312–6552–2 बी–1 दिनांक 22 नवंबर 1974 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 3.1.1975 पृष्ठ क्रमांक 20 का उल्लंघन किया गया।

11– अतः विचारोपरांत इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त **प्रवीण पिता राजेन्द्र राठौर, उम्र–21 वर्ष, निवासी–नेहरू मार्ग देपालपुर, इंदौर (म.**

प्र.) को धारा **25 (1–बी)(बी) आयुध अधिनियम** के आरोप से दोषमुक्त घ ोषित किया जाता है।

12– अभियुक्त दिनांक 04.03.2020 से 29.03.2020 तक न्यायिक निरोध में रहा है। इस संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 के अंतर्गत निरोध अवधि का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13– अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जाते है किन्तु धारा–437 ए द.प्र.स के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये नवीन जमानत, मुचलके आगामी 06 माह के लिये प्रभावशाली रहेगी।

14– प्रकरण में जप्तुशदा एक लोहे का छूरा होने से अपील अवधि पश्चात् माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेशों का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनाकिंत कर घोषित किया गया।

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर, जिला इंदौर, (म.प्र.)

मेरे आलेख पर टंकित
किया।

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर, जिला इंदौर, (म.प्र.)